पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 19 जनवरी, 2013 ई0 (पौष 29, 1934 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

उत्तराखण्ड विद्युत् नियामक आयोग

अधिसूचना

21 दिसम्बर, 2012 ई0

सं0 एफ–9 (10) आरजी/यूईआरसी/2012/1293–उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181 की उपधारा (2) (zg) एवं (2) (zp) के साथ पठित धारा 86 की उपधारा (1) (g) के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् उत्तराखण्ड विद्युत् नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) विनियम, 2002 (प्रधान विनियम), में एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा :–

1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और निर्णय :–

(1) इन विनियमों का नाम उत्तराखण्ड विद्युत् नियामक आयोग (फीस एवं जुर्माना) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2012 होगा।

(2) ये विनियम सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

2. प्रधान विनियम की अनुसूची में संशोधन :–

पार्ट ए–प्रधान विनियम के विनियम 3 (1), 4 (2), 4 (5) और विनियम 7 में संदर्भित तथा प्रधान विनियम का भाग निर्मित करने वाली अनुसूची इन विनियमों से संलग्न रूप में प्रतिस्थापित होगी–

अनुसूची

[विनियम (3) देखिये]

क्रम संख्या	आवेदन/याचिका की प्रकृति	फीस (रु0 में)
1	2	3
1.	आयोग के आदेशों/अभिलेखों/दस्तावेजों के निरीक्षण हेतु आवेदन	₹ 200.00 (रु0 दो सौ)/दिन, अधिकतम तीन घंटों के लिये

1	2	3
2.	युटीलिटी में निवेश के अनुमोदन हेतु याचिका	₹ 15,000 (रु0 पन्द्रह हजार)
3.	आयोग के दस्तावेजों/आदेशों की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति	₹ 5 (रु0 पाँच)/पृष्ठ
4.	विविध याचिकाएं, जो सम्मिलित नहीं की गई	
	(ए) यदि अनुज्ञापी/उत्पादक कम्पनी द्वारा दायर किया गया है	₹ 10,000 (रु0 दस हजार) प्रति आवेदन
	(बी) यदि अनुज्ञापीधारी या व्यक्ति के अलावा, अन्य किसी के द्वारा दायर की है	₹ 1,000 (रु0 एक हजार) प्रति आवेदन
	(सी) यदि किसी व्यक्ति द्वारा दायर किया गया है	₹ 500 (रु0 पाँच सौ) प्रति आवेदन
पार्ट बी–विवादों और शिकायतों का निस्तारण–		
1.	विद्युत अधिनियम, 2003 और उसके अधीन विनिर्दिष्ट विनियमों के अधीन विवादों और मतभेदों का न्याय निर्णयन	
	(ए) किसी अनुज्ञापी या ऊर्जा के परम्परागत स्रोत का उपयोग करने वाली उत्पादक कम्पनी द्वारा संदर्भित	₹ 20,000 (रु0 बीस हजार)
	(बी) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्रोत का उपयोग करने वाली उत्पादक कम्पनी द्वारा संदर्भित	₹ 10,000 (रु0 दस हजार)
	(सी) एक कैप्टिव संयंत्र के स्वामित्व वाले व्यक्ति द्वारा संदर्भित	₹ 10,000 (रु0 दस हजार)
पार्ट सी–लाईसेन्स प्रदान करना–		
1.	विद्युत के वितरण और खुदरा आपूर्ति लाईसेन्स, पारेषण और ट्रेडिंग प्रदान किये जाने हेतु आवेदन के साथ लगने वाला आवेदन/प्रक्रमण फीस	विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत फीस का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
2.	वितरण अनुज्ञापी द्वारा देय वार्षिक लाईसेन्स फीस	अनुज्ञापी के आपूर्ति क्षेत्र में ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अवधि में बिल की गई राशि का 0.05% प्रारम्भ में लाईसेन्स प्रदान करते समय देय तथा लाईसेन्सी की मान्य अवधि में प्रत्येक पश्चात्वर्ती वर्ष में वार्षिक रूप से, राशि की संगणना प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार अवधारित किया जायेगा।
3.	पारेषण अनुज्ञापी द्वारा देय वार्षिक लाईसेन्स फीस	ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अनुज्ञापी द्वारा आपूर्ति की गई या पारेषित की गई या किसी अन्य तरीके से हैंडल की गई विद्युत की प्रत्येक एक लाख यूनिट या उसके भाग हेतु ₹ 150 (रु0 एक सौ पचास), जो प्रारम्भ में लाईसेन्स प्रदान करते समय देय होगी लाईसेन्स की मान्य अवधि में पश्चात्वर्ती वर्षों के लिये राशि का अवधारण प्रत्येक वर्ष इसी प्रकार संगणित किया जायेगा।

1	2	3
4.	ट्रेडिंग अनुज्ञापी द्वारा भुगतान की जाने वाली वार्षिक लाईसेन्स फीस	प्रति वर्ष ट्रेड किये जाने हेतु प्रस्तावित विद्युत की मात्रा पर आधारित वार्षिक फीस : 1. 100 मिलियन यूनिट तक : ₹ 1,00,000 (रु0 एक लाख) 2. 100 से 200 मिलियन यूनिट तक : ₹ 2,00,000 (रु0 दो लाख) 3. 200 मिलियन यूनिट से अधिक : ₹ 5,00,000 (रु0 पाँच लाख)
5.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 17 के अधीन पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन	₹ 5,00,000 (रु0 पाँच लाख)
6.	विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 18 के अधीन लाईसेन्स में संशोधन हेतु आवेदन	
	(ए) लाईसेन्सी द्वारा	₹ 1,00,000 (रु0 एक लाख)
	(बी) अनुज्ञापी से अतिरिक्त किसी व्यक्ति द्वारा	₹ 10,000 (रु0 दस हजार)
7.	लाईसेन्स दिये जाने से छूट हेतु आवेदन	आवेदन/याचिका दायर करते समय या अन्य उपयुक्त समय पर प्रत्येक मामले में अलग–अलग विनिर्दिष्ट किये अनुसार फीस
पार्ट डी—टैरिफ निर्धारण—		
1.	अनुज्ञापी/उत्पादन कम्पनी/SLDC की कारोबारी योजना का अनुमोदन	₹ 50,000 (रु0 पचास हजार)
2.	विद्युत की खुदरा बिक्री, पारेषण और व्हीलिंग हेतु MYT के अधीन SLDC फीस व प्रभारों का वार्षिक अवधारण	₹ 1,00,000 (रु0 एक लाख)
3.	MYT के अधीन वितरण व पारेषण अनुज्ञापी तथा SLDC की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा	₹ 1,00,000 (रु0 एक लाख)
4.	उत्पादन दर की अवधारण हेतु आवेदन	
	(ए) 2 MW से अधिक संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय/गैर परम्परागत उत्पादक स्टेशनों के लिए	2 MW से अधिक और 10 MW तक की संस्थापित क्षमता वाले उत्पादन स्टेशनों के लिए ₹ 1,00,000 (रु0 एक लाख) और 10 MW से अधिक क्षमता वाले के लिये ₹ 5,00,000 (रु0 पाँच लाख)
	(बी) 25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र, जिनमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित हैं	100 MW तक की संस्थापित क्षमता हेतु ₹ 10,00,000 (रु0 दस लाख) और उत्पादक स्टेशन की संस्थापित क्षमता के प्रत्येक अतिरिक्त MW या उसके भाग हेतु ₹ 10,000 (रु0 दस हजार)

1	2	3
5.	MYT के अधीन 25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र जिसमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित है की वार्षिक कार्य निष्पादन समीक्षा	100 MW तक संस्थापित क्षमता हेतु ₹ 5,00,000 (रु0 पाँच लाख) और संस्थापित क्षमता में प्रत्येक अतिरिक्त MW या उसके भाग हेतु ₹ 5,000 (रु0 पाँच हजार)
6.	एक वर्ष से अधिक अवधि हेतु ऊर्जा क्रय करार के अनुमोदन के लिये आवेदन	
	(ए) 25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र, जिनमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित हैं	प्रति MW या उसके भाग हेतु ₹ 25,000 (रु0 पच्चीस हजार) [न्यूनतम रु0 2,00,000 (रु0 दो लाख) और अधिकतम ₹ 10,00,000 (दस लाख)]
	(बी) 2 MW से अधिक 25 MW तक की संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय उत्पादक स्रोत/को—जेनरेशन	प्रति MW या उसके भाग हेतु ₹ 10,000 (रु0 दस हजार) [न्यूनतम रु0 50,000 (रु0 पचास हजार) और अधिकतम ₹ 5,00,000 (पाँच लाख)]

पार्ट ई—समीक्षा—

1.	युटीलिटीज में निवेश के अनुमोदन हेतु आदेश की समीक्षा हेतु याचिका/आवेदन	₹ 5,000 (रु0 पाँच हजार)
2.	अनुज्ञापियों और उत्पादक कम्पनियों के बीच तथा अनुज्ञापियों के बीच विवादों और मतभेदों के न्याय निर्णयन पर आदेश की समीक्षा हेतु आवेदन	मूल आवेदन हेतु भुगतान की गई फीस का 25%
3.	वितरण, पारेषण या व्यापार लाईसेन्स प्रदान किये जाने हेतु आवेदन/याचिका पर आदेश की समीक्षा के लिये समीक्षा आवेदन/याचिका के साथ लगने वाली फीस	₹ 50,000 (रु0 पचास हजार)
4.	उत्पादन शुल्क के अवधारण पर आदेश हेतु समीक्षा याचिका	
	(अ) 25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र, जिनमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित हैं	₹ 50,000 (रु0 पचास हजार)
	(ब) 2 MW से अधिक 25 MW तक की संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय उत्पादक स्रोत/सह—उत्पादन	₹ 5,000 (रु0 पाँच हजार)
5.	वितरण और पारेषण अनुज्ञापियों और SLDC द्वारा शुल्क याचिका/आवेदन पर आदेश की समीक्षा हेतु समीक्षा याचिका/आवेदन के साथ लगने वाली फीस	₹ 50,000 (रु0 पचास हजार)

1	2	3
6.	ऊर्जा क्रय और अधिप्राप्ति प्रपत्र के अनुमोदन हेतु आदेश की समीक्षा के लिये याचिका/आवेदन के साथ लगने वाली फीस	
	(अ) 25 MW से अधिक क्षमता वाले परम्परागत ईंधन आधारित संयंत्र, जिनमें हायडिल संयंत्र भी सम्मिलित हैं	₹ 50,000 (रु0 पचास हजार)
	(ब) 2 MW से अधिक 25 MW तक की संस्थापित क्षमता वाले नवीकरणीय उत्पादक स्रोत/सह–उत्पादन	₹ 25,000 (रु0 पच्चीस हजार)
7.	अन्यत्र सम्मिलित न हुए आयोग के किसी आदेश की समीक्षा या पुनर्विचार हेतु आवेदन	₹ 1,000 (रु0 एक हजार)

आयोग के आदेश से,

नीरज सती,
सचिव।